संख्या-17/2025/916/18-2-2025-12(एस0पी0)/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

2- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
समस्त शासकीय नियन्त्रणाधीन निगम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थायें, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 जुलाई, 2025

विषय:- सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गॉधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता।

महोदय,

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-155 वी.आई.पी./18-5-98-59 (एसपी)/92, दिनांक 26 अक्टूबर, 1998 द्वारा 11(ग्यारह)प्रकार के वस्त्रों का क्रय उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 एवं यूपिका से अनिवार्यत: क्रय करने के आदेश कतिपय शर्तो के अधीन दिये गये थे, जो 01 वर्ष के लिए प्रभावी थे। बाद में इस शासनादेश की परिसीमा में उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 निर्यात निगम को भी सम्मिलित किया गया तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को इस शासनादेश की परिसीमा से बाहर रखते हुए अन्तिम बार शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-31/2023/1681311/18-2-2023-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 6 अप्रैल, 2023 जारी किया गया, जो दिनांक 31-3-2025 तक प्रभावी था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों / निगमों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गॉधी आश्रम, उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम (जिन्हें आगे आपूर्तिकर्ता संस्था कहा गया है) द्वारा उत्पादित एवं प्रस्तर-3 में वर्णित 11 प्रकार के वस्त्रों को क्रय करने की अनिवार्यता की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2028 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाये जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों /निगमों /प्राधिकरणों /परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें एवं श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम) के द्वारा लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के क्रय की अनिवार्यता हेतु आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा विक्रय किये जाने वाले समस्त उत्पादों को चिन्हित ब्रांड के अन्तर्गत जेम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय किया जायेगा।

इस हेतु इन आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को जेम पोर्टल पर Proprietary Status के साथ पंजीकरण कराना होगा, जिससे क्रेता विभाग "PAC (Proprietary Article Certificate)" Filter से इन संस्थाओं को चिन्हित कर संबंधित उत्पादों का क्रय कर सकेंगे। केवल ऊनी कम्बल की पूर्ति हेतु जेम पोर्टल पर खुली बिड (जेम निविदा) श्रेणी में निविदा आमंत्रित की जायेगी, जिसकी शर्तों में केवल शासनादेश में वर्णित संस्थायें ही निविदा हेतु वैध होंगी। तदनुसार शासनादेश में निहित शर्तों एवं निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुसार आपूर्ति हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

(2) उक्त संस्थायें जिन वस्तुओं का स्वयं अथवा अपनी संस्था के अधीन पंजीकृत इकाइयों व सोसायटियों के माध्यम से उत्पादन करती अथवा कराती है, उनका एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन कराकर आपूर्ति करेंगी। यदि किन्हीं कारणवश उक्त संस्थायें क्रयादेश की सीमा तक उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं अथवा संस्था आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का उत्पादन नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में उक्त वस्तुओं की आपूर्ति किसी अन्य संस्था अथवा उत्पादक से क्रय कर की जा सकती है, किन्तु इसके लिये उन्हें अनिवार्य रूप से सामग्री क्रय प्रक्रिया के सुसंगत नियमों का पालन करते हुये ई-टेण्डर/जेम पोर्टल पर बिड/आर0ए0 के माध्यम से दर सुनिश्चित करनी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) आपूर्तिकर्ता संस्था उत्पादित या क्रय मूल्य पर (जैसी स्थिति हो) 5.5 प्रतिशत प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण चार्ज ले सकेगी। आपूर्ति पर लगने वाले सभी प्रकार के कर-जी0एस0टी0 इत्यादि एवं प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण चार्ज के भुगतान का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(4) क्रेता संस्था का दायित्व होगा कि वह आपूर्तिकर्ता संस्था को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की पूर्ण एवं स्पष्ट विशिष्टियॉ समय से उपलब्ध करायें तथा आवश्यकतानुसार ऐसी सामग्री का सैम्पल अनुमोदित करें। क्रेता संस्था आपूर्ति की गयी सामग्री निर्धारित मानक के अनुसार होने एवं मात्रा पूर्ण होने का प्रमाणपत्र आपूर्तिकर्ता संस्था को उसके द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेंगी।

(5) वस्तुओं की दर एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता संस्थाओं का होगा। आपूर्तिकर्ता संस्थायें इस संबंध में अपने यहां प्रदेश स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेंगी, जिसका यह दायित्व होगा कि सामग्री की दर एवं गुणवत्ता उचित है। नोडल अधिकारी यह प्रमाणपत्र भी क्रेता एजेन्सी को देगा कि आपूर्तित वस्त्रों को इससे कम दरों पर किसी संस्था अथवा अन्य स्रोत से विक्रय नहीं किया गया है। आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि उनके द्वारा बिक्रय किये जाने वाले वस्त्रों का मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक न हो।

(6) उ0प्र0 खादी बोर्ड की प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा, अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उ0प्र0 खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्य क्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के अनुरूप अपेक्षित प्रक्रिया (Mechanism) विकसित करेगा। श्री गॉधी आश्रम पूर्व की भॉति सीधे क्रयादेश ले सकेंगे।

(7) यदि कोई विभाग किन्ही विशेष अथवा अपरिहार्य कारणों से उक्त क्रय अनिवार्यता से छूट चाहते हैं तो वह अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को प्रस्तुत करेगा और प्रस्ताव पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग परीक्षणोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर तद्नुसार छूट प्रदान करेगा।

(8) पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को इस शासनादेश की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) **उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 07 विभागीय कम्बल उत्पादन केन्द्र क्रमश: कम्बल उत्पादन केन्द्र गोपीगंज-भदोही, मिर्जापुर, नजीबाबाद-बिजनौर, खजनी-गोरखपुर, टीकरमाफी-अमेठी, जौनपुर एवं अदिलाबाद-गाजीपुर द्वारा प्रति वर्ष तैयार हो रहे ऊनी कम्बलों को आपदा राहत हेतु संबंधित मण्डलों के मण्डलायुक्त व संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा अपनी आवश्यकता की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक सीधे क्रय हेतु आरक्षित करते हुये शेष 90 प्रतिशत क्रय निर्धारित संस्थाओं से जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय हेतु आरक्षित 11 प्रकार के उत्पाद तथा सामग्रियों की सूची निम्नवत है:-

1. सूटिंग एवं शर्टिंग। (खाकी, नेवी ब्लू, ग्रे, सफेद आदि सभी रंगों में)
2. काटन बेड दरी। (सभी किस्म एवं रंगों में)
3. हक्का बैक/हनी कोम्ब/टेरी टावेल।
4. साड़ी एवं धोती।
5. बेड़-शीट एवं पिलो कवर।
6. परदे के कपड़े एवं टेपेस्ट्री। (सोफा इत्यादि के प्रयोग हेतु)
7. ऊनी कम्बल।(सभी प्रकार के)
8. फर्शी दरी।
9. ऊनी वर्दी का कपड़ा।
10. गाज बैण्डेज क्लाथ।
11. दो सूती क्लाथ।

4- कृपया उपरोक्त प्राविधानित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

2- प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव/महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालनार्थ निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

5- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, लखनऊ।

6- प्रबंध निदेशक, यूपिका, लखनऊ।

7- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

9- गोपन अनुभाग-1

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पुष्पेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।